



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2017/आश्विन 14, 1939

No. 821]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017/AVISNA 14, 1939

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि 1224(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1168(अ), दिनांक 18 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग की भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावा निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) धारा 6 की उपधारा (1) से संबंधित अधिसूचना के हिंदी पाठ में निम्नानुसार स्पष्टीकरण पढ़ा जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण- भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावा निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के कल्याण आयुक्त पद पर समवर्ती पदभार की अवधि को 01.08.2017 से एक वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।”

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल प्रकोष्ठ]

समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव